भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1380
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 18 जुलाई, 2014/27 आषाढ़, 1936 (शक) को दिया गया)

<u>कारपोरेट सामाजिक दायित्व</u>

1380. श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री बदरूद्दीन अजमल :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों हेतु कारपोरेट सामाजिक दायित्व को नए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित करके स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार सहित विभिन्न सामाजिक कार्यकलापों पर इनके लाभ का दो प्रतिशत व्यय को अनिवार्य करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्यमान सीएसआर नीति में सीएसआर के अंतर्गत किस प्रकार के कार्यकलाप करने की अनुमति है;
(ख) क्या सरकार का विचार उक्त कंपनियों हेतु विद्यमान सीएसआर में अधिक कार्यकलापों को शामिल करने और व्यय को बढ़ाने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सीएसआर के अंतर्गत महानवरत्न तथा नवरत्न कंपनियों सहित कंपनियों द्वारा औसतन कितना वार्षिक व्यय किया गया है;
(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान सीएसआर के अंतर्गत उक्त कंपनियों द्वारा निधियों के दुरुपयोग के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई;
(घ) क्या सरकार ने सीएसआर के अंतर्गत उक्त कंपनियों द्वारा निधियों के दुरुपयोग की निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) सरकार द्वारा सीएसआर का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और उक्त कंपनियों द्वारा इसमें निधियों के युक्तियुक्त उपयोग के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (ड.) : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत कतिपय न्यूनतम टर्नओवर अथवा निवल मूल्य अथवा निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी के लिए पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का न्यूनतम दो प्रतिशत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर व्यय करने का अधिदेश है।

---2/-

इसके तहत किए जाने वाले कार्यकलाप अधिनियम की अनुसूची-VII में दिए गए हैं, जो इसके साथ संलग्न है। जैसा कि माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में घोषणा की गई है, 'स्लम विकास' को भी अनुसूची-VII में जोड़ने का प्रस्ताव है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, सीएसआर नीति के कार्यान्वयन के निगरानी का दायित्व कंपनी के बोर्ड का है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम के अधीन लेखापरीक्षा से भी इस पर प्रभावी निगरानी होगी। कारपोरेट सामाजिक दायित्व के उचित कार्यान्वयन के लिए कारपोरेट को मार्गनिर्देशित कराने हेतु मंत्रालय 18.06.2014 के सामान्य परिपत्र (http://www.mca.gov.in), के माध्यम से स्पष्टीकरणों की एक श्रृंखला जारी की है जो उन मामलों से संबंधित हैं जो अधिनियम या नियम में शामिल नहीं है पर सीएसआर नीतियों के सुचारू कार्यान्वयन में मददगार हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत बने नियमों के अधीन कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी उपबंध हाल ही में अर्थात् 01.04.2014 से लागू हुए हैं। कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत कंपनियों द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरे, कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय के अनिवार्य प्रकटीकरण, जो उन्हें वित्त वर्ष 2014-15 के पूरा होने के छः माह के भीतर देने हैं, यानी, सितंबर, 2015 के बाद ही कारपोरेट कार्य मंत्रालय में उपलब्ध होंगे। लोक उद्यम विभाग ने सूचित किया है कि महारत्न कंपनियों द्वारा सीएसआर कोष के दुरुपयोग संबंधी कोई शिकायत उनके संज्ञान में नहीं है।

*****